

दक्षिण रेलवे Southern Railway
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय
Office of the Principal Chief Personnel Officer
प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग, चेन्नै-600003
Headquarters, Personnel Department, Chennai-600003

सं/No: P(R)113/P/PWD/Vol.II

दिनांक/Dated: 18.09.2025

All PHODs/ DRMs/ CWMs/ CEWE/ CAO/ CPM/ PDA/ Dy.CPOs/ Sr.DPOs/ Secy to GM,Chairman/RRB/MAS,TVC, Addl.Registrar/RCT/MAS, Secretary/RRT/MAS, Principal MDZTI/TPJ, SRCETC/TBM, ZETTC/AVD, DPOs/SPOs/WPOs/APOs of HQ/Divisions /Workshops/Units.

विषय/Sub:Revised Comprehensive Guidelines for conducting competitive written public examinations (linked to employment or admission to professional / technical courses) for Persons with Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, incorporating Hon'ble Supreme Court directives.

A copy of the Railway Board's letter No. 2025-E(SCT)I/133/10 Pt. dated 10.09.2025 alongwith copies of Office Memorandum No. F.No.P-13013/75/2023-Policy-DD-III dated 01.08.2025 and 10.09.2025 issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Diyangjan) on the above subject is enclosed for information, guidance, and necessary action.

संलग्नक/Encl. 27 pages

सहायक कर्मचारी संबंधी अधिकारी/Asst.Personnel Officer / IR & Trg.
कृते प्रमुकाधि/For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to: The General Secretary/SRMU

The General Secretary / DREU

The General Secretary/AISCTREA

The General Secretary/AIOBCREA

The General Secretary/NFIR

IT Section/PB/HQ - to upload in the SR website.

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2025-E(SCT)/133/10 Pt.

New Delhi, dated 10.09.2025

The General Manager (P)
All Indian railways & Production Units

The Director General/RDSO/Lucknow.


The CMD/M.D of all the PSUs/Autonomous Bodies under the control of
Ministry of Railways.

Sub: Revised Comprehensive Guidelines for conducting competitive written public examinations (linked to employment or admission to professional/technical courses) for Persons with Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, incorporating Hon'ble Supreme Court directives.

A copy of Ministry of Social Justice & Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Diyangjan)'s Office Memorandum bearing No. F. No. P-13013/75/2023-Policy-DD-III dated 01.08.2025 which is self-explanatory on the above mentioned subject is forwarded herewith.

2. The same may please be brought to the notice of all concerned for information/necessary action and strict compliance.

DA:- As above.


(Goutom Mondal)
Joint Director, Estt.(Res.)
Railway Board
Mail Id:goutom.mondal@gov.in
Tele No. 011-23047206

5918765/2025/O/oPCPO/SR

R-019593699

CAB

90
6/8

F. No. P-13013/75/2023-Policy-DD-III
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
C.G.O. Complex, New Delhi -110003
Date: 01 August, 2025

Office Memorandum

Subject: Revised Comprehensive Guidelines for conducting competitive written public examinations (linked to employment or admission to professional or technical courses) for Persons with Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, incorporating the Hon'ble Supreme Court Directives in the matter

Introduction:

These revised Comprehensive Guidelines on the subject are being issued in supersession of all existing instructions on the subject i.e. DEPwD's OM No. 29-6/2019-DD-III dated 10.08.2022 and DEPwD's OM No. 34-02/2015-DD-III dated 29.08.2018 with a corrigendum issued in the matter vide OM No. 34-02/2015-DD-III dated 08.02.2019 and, in so far as it is concerned with the competitive written public examinations (linked to employment or admission to professional or technical courses), to bring them in line with the provisions of the RPwD Act, 2016; the Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024; rules made under these legislations, and the directions of the Hon'ble Supreme Court in their Orders dated 11.02.2021, 23.11.2021 and 03.02.2025 in *Vikas Kumar Vs. UPSC*, *Avni Prakash Vs. National Testing Agency* and *Gulshan Kumar Vs IBPS and Ors.* respectively.

Applicability of the Guidelines:

2. These guidelines will apply only to the competitive exams leading to jobs and admission to professional courses and NOT to the regular school (board)/ college/ university academic exams for which the earlier guidelines i.e. DEPwD's OM No. 29-6/2019-DD-III dated 10.08.2022 and DEPwD's OM No. 34-02/2015-DD-III dated 29.08.2018 with a corrigendum issued in the matter vide OM No. 34-02/2015-DD-III dated 08.02.2019 and, will continue to be valid till further orders.

3. These Guidelines apply to all individuals defined as Persons with Disabilities under Section 2(s) of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016. However, the facility of assistance (i.e. technological aid like software enabled laptop/desktop, reader, lab assistant or scribe, as prescribed in the subsequent paragraphs) during written exam may be provided to all such candidates who, due to their disability, face functional limitations in writing an examination, irrespective of the nature or extent of their disability. This includes, but is not limited to, individuals with physical limitations in writing, visual impairments preventing reading or writing, intellectual disabilities

(21)

5918765/2025/O/oPCPO/SR

affecting comprehension or expression, or any other disability that impedes their ability to participate effectively in the examination process, as certified by a competent authority, as specified in the following guidelines.

4. Rule 5 of Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024 provides that the National Recruitment Agency, on behalf of the Central Government, shall in consultation with the stakeholders, prepare norms, standards and guidelines for the **computer-based test mode of examination**, which shall be notified by the Central Government that will inter alia include guidelines for providing scribes.

[Note: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Rules, 2024 mentions that the computer-based test includes activities, such as registration of candidates, allocation of centres, issue of admit cards, opening and distribution of question papers at public examination centres, evaluation, and final recommendations. National Testing Agency specifies that a CBT requires candidates to sit in front of a computer terminal (node) allocated to them against their Roll number and Admit card.]

Facilities to be provided for Persons with Disabilities in written examinations:

5. **Choice of Mode of Examination, aids and assistive devices and use of technology:**

A. Independent Mode of Writing the Examination:

- i. The Examining Bodies shall encourage candidates to take the examination **independently**, with the assistance of technology such as software-enabled laptops, desktops, Braille/ large print, or by recording their answers. The examining bodies, to that extent, shall make corresponding technological paraphernalia (i.e., software-enabled laptops/desktops, Braille/ large print, or recording devices) available in sufficient numbers with comprehensive coverage for Indian Languages and English.
- ii. Where job and academic requirements necessitate that employees or students work independently with computers, the examining bodies will offer the option to PwD candidates to take the exam on a laptop or desktop, enabling them to write the exam **independently without the assistance** of a scribe. Examining Bodies are expected, in general, to decrease the need for scribes gradually and enable candidates to participate in the examination, demonstrating and realizing their full potential and capacity, with reasonable accommodations on a case-by-case basis. Assistance has been prescribed in the paragraph 5.B for different types of public exams, depending on the nature of academic/ job requirements, and also taking into account the broader and long-term interests of Persons with Disabilities, as discussed in the subsequent paragraphs.

[Note: Technology interventions like JAWS (Job Access with Speech)/ NVDA(Non visual Desktop Access), ORCA, large prints, tactile graphics, magnification software etc for blind/ low vision candidates; voice recognition software/ head-mouse etc for locomotor disabilities; text-to-speech or vice versa software for persons having

difficulty in reading like dyslexia etc., LaTeX+TeX / Math ML content add-on/software may be explored as reasonable accommodation; The software mentioned herein are illustrative and not exhaustive].

iii. Significant inputs have been received from responsible bodies like UPSC, DoPT, NRA, etc., expressing concern over the credibility and transparency of the exams being undertaken by the PwDs by using a scribe, in general. In particular, the provision of 'Own Scribe' has been identified as a significant vulnerability in maintaining the integrity and fairness of the examination process. Instances of malpractice, including collusion between candidates and their privately arranged scribes, have been observed by various Examining Bodies, where scribes wrote answers independently without adequate dictation, thereby undermining the examination's credibility.

Such actions not only violate the principles of a level playing field but also put at a disadvantage the candidates who take the exams on their own by using technology or rely on the examining bodies' vetted scribes. Furthermore, given the evolving specialized requirements in technical/ professional domain-specific fields, both in academia and in jobs, independent functioning is essential after the placement of the selected candidate into a specific job or an advanced academic course.

Therefore, in all such cases, where independent work capability is a critical job/ academic requirement, the examination's confidentiality, integrity, and equity in terms of Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 and rules made thereunder needs to be upheld while making the performance in the exams relatable to the output in the jobs/ rigorous professional courses. Hence, emphasis will be placed on having candidates write the exams independently.

However, in cases such as the non-availability of technological paraphernalia, i.e., software-enabled laptops/desktops, Braille/ large print, or recording devices for the answers, or where the candidate wishes to use a Scribe, the use of scribes provided by the Examining Bodies, who are rigorously identified and supervised, may be resorted to. Various EBs are provided a non-negotiable time limit of 2 years (effective from the date of issue of these Guidelines) for consolidating (if not already existing) a comprehensive pool of scribes. This measure will ensure uniformity and prevent exploitation of the provision. The "own scribe" provision may be allowed, as a last resort, until the "pool of scribes" is ready for applicants who do not opt for the use of technology, or until the lapse of two years, as specified above, whichever is earlier.

B. Provisions in r/o Scribes/ Reader/ Lab Assistant:

This is to reiterate the overarching emphasis on encouraging candidates to write the exam independently. The scribe, if at all permitted, because of the refusal by the candidate to use technology, has to be provided by the EBs. An own scribe may be allowed if, and only if, the EB is unable to provide a scribe. EBs are, however, expected to form a comprehensive panel of scribes within a maximum of 02 years of the issue of these Guidelines.

The examining bodies (EBs) can work out the provision of providing scribes and eliminating the "candidate's Own scribe" option even before two years of this order, subject to the condition that they offer proper scribes to their candidates who opt for scribes rather than using technology. Note that this decision must be made at the relevant EB level and does not need to be referred to DEPwD.

Accordingly, the provision of scribes and their qualification is prescribed hereunder in r/o various competitive exams, with an overarching aim at augmenting the larger and lasting interests of the Persons with Disabilities, including their contribution to the nation's growth in an inclusive mode.

i. Qualification of the Scribe/Reader/Lab Assistant for Competitive (Professional/ Job-linked) Public Examinations:

Sl No.	Nature of Examination	Qualification of Scribe
1	Competitive Public Entrance Examinations for admission into Graduation/Post Graduation/higher professional/technical courses like IIT-JEE, NEET, CAT, CLAT, UGC-NET, GATE, CUET, etc, and equivalent.	<p>The candidates are encouraged to write the exam on their own using the software-enabled laptop/ desktop/ Braille/ large print or recording device for the answers. In cases where the candidate opts for a scribe rather than using technology, EBs will provide scribes rigorously identified from their pool. The EBs are granted a non-negotiable time limit of 2 years, effective from the date of issuance of these Guidelines, for consolidating (if not existing already) a comprehensive pool of scribes, compatible with Indian languages and English.</p> <p>In cases where the candidate opts for a scribe rather than the use of technology, the qualification of the scribe must be a minimum of "two academic years below" and a maximum of "three academic years below" the minimum qualification for appearing in that examination. (For example, for appearing in Joint Entrance Examinations (Main), if the minimum eligibility is 12th pass or equivalent, the qualification of the scribe may be 10th standard ongoing/below, but not below 9th standard ongoing. Likewise, if the minimum qualification to appear for NET/GATE is post-graduation/equivalent, the scribe may be at most in the final year of Graduation or below (assuming PG is 02 year course), but not below the second-to-last year of graduation.</p>

		<i>The pass-out graduates may also be eligible in this case as long as they are not enrolled in or started the first year of PG.)</i>
2	Competitive Public Examinations for recruitment in central government establishments like UPSC-Civil Services Exam, SSC exams, NDA etc., and equivalent	<p>The candidates are encouraged to take the exam independently using a software-enabled laptop/ desktop/ Braille device/ large print device, or recording device to record their answers. In cases where the candidate opts for a scribe rather than using technology, EBs will provide scribes rigorously identified from their pool. The EBs are granted a non-negotiable time limit of 2 years, effective from the date of issuance of these Guidelines, for consolidating (if not existing already) a comprehensive pool of scribes, compatible with Indian languages and English.</p> <p>In cases where the candidate opts for a scribe rather than the use of technology, the qualification of the scribe must be a minimum of "two academic years below" and a maximum of "three academic years below" the minimum qualification for appearing in that examination.</p> <p><i>(For example, if the minimum qualification for appearing in the Staff Selection Commission Combined Graduate Level Examination is a Graduate, the scribe's qualification may be in the first academic year of graduation (for a 3 year course), but not below the 12th standard running).</i></p>

- ii. The facility of Scribe/ Reader/ Lab Assistant must be allowed to any person in the absence of availability of required technology or inability of the candidate (as elaborated in Para-5 A above) to use them.
- iii. In case of persons with disabilities in the category of blindness, locomotor disability (Both Arms only) and cerebral palsy, the facility of scribe/reader/ lab assistant may be given, if so desired by the person, upon production of valid disability certificate/ UDID card without requiring of production of any medical certificate as per the proforma at APPENDIX-I.
- iv. In the case of all other specified disabilities i.e., except blindness, locomotor disability (both arm affected-BA only), and cerebral palsy, the facility of scribe/reader/lab assistant must be allowed on production of a certificate to

the effect that the person concerned has a functional limitation to write, caused by the specified disability and, therefore, a scribe is essential to write the examination on his/her behalf. The certificate is to be issued, after due medical examination as per Para-3 of these Guidelines, by the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government healthcare institution as per the proforma at Appendix-I.

[Note: The medical authority for certification as mentioned in point(iii) above should be a multi-member authority comprising the following:-

- (1) Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Chief District Medical Officer..... Chairperson
- (2) Orthopaedic/PMR specialistMember
- (3) Any other expert, based on the condition of the candidate, as may be nominated by the Chairperson..... Member]

- v. The examination body shall identify and make a panel of suitable scribes, according to the examinations.
- vi. In limited cases, where the candidate is allowed to bring their own scribe, he/she should submit details of their own scribe as per the proforma at Appendix-II.
- vii. While bringing own scribe, the details of the scribe is to be provided to the EB at the time of application. The application format has to provide for such a declaration. Else, EB has to provide a dedicated email-id or provide a dedicated link on the designated application portal to provide such information within 15 days of closure of the application subject to changes in scribe to be allowed at short notice (say, a week) in case of exigency.
- viii. In case of an own scribe, any objections to be raised by the examination body as regards eligibility of the scribe will have to be raised 30 days before the date of the exam so that the candidate can arrange a different scribe.
- ix. If a student/candidate brings a different scribe other than the one previously informed on the day of examination, including the short notice changes referred to above, the Examination Body will provide Scribe from its own pool subject to availability. In case the Examining Body is unable to provide a scribe, they will allow the scribe arranged by the candidate, after taking necessary declarations/documents from the student/candidate, subject to fulfilling the qualifications as mentioned in these guidelines for that particular examination.
- x. When the Examining Bodies (EB) are arranging the scribe, it may be ensured, as far as possible, that the scribe is from the same stream/ discipline as the subject of the examination. For, e.g., while assigning a scribe to a student taking a science or technical examination, it may be ensured that the scribe is

familiar with the specialised terms and symbols of mathematics, sciences and technical subjects. However, cross-stream scribes may be allowed for general subjects like Language, Humanities or Social Sciences or general open public examinations.

- xi. Scribes must be impartial individuals with no conflict of interest that could compromise the impartiality of the examination.
- xii. Candidates availing assistance of scribe will have to communicate with the scribe only in the language, as medium of writing the examination, as opted by them in the application (own scribe proforma/online application). Accordingly, invigilators having sufficient understanding of that language to be engaged for effective supervision during the Exam.
- xiii. The scribe arranged (own/ provided by examining body) should not himself/herself be the candidate for the exam for which the candidate is appearing.
- xiv. "Own Scribe" shall not act as scribe for more than one candidate in a single examination.
- xv. In cases where EBs providing scribes, candidates will be allowed to meet the scribe for a 20-minute interaction session one hour before the start of the examination at the assigned venue.
- xvi. In cases where candidates request a change of scribe on valid grounds, such as language barriers, they can submit a request to the examination body to change the scribe. Only one such request will be considered by the Examination Body (EB), and the acceptance of the request is subject to the availability of another scribe on the date of examination or other related factors.
- xvii. EB may dedicate specific venues for PwD candidates and their scribes (with an additional number of scribes available for any exigency during exam hours), where the EB can invest more in terms of CCTV, trained invigilators, etc.
- xviii. The candidates should also be allowed to take more than one scribe/ reader to write different papers. However, there can be only one scribe per subject.
- xix. The examination body shall not change the process of indicating scribe details or any other accessibility needs / reasonable accommodations from the date of initial advertisement till the conclusion of the exam in question.

Compensatory time:

6. Availability of Compensatory time is as follows:

5918765/2025/O/oPCPO/SR

- i. The "compensatory time" should be allowed for not less than 20 minutes per hour of examination for candidates with disabilities, having functional limitations in writing as specified in these guidelines and assessed by the prescribed medical authority, whether they are using the services of a scribe/reader/lab assistant or not.
- ii. In case the duration of the examination is less than one hour, then the duration of compensatory time should be allowed on a pro-rata basis in a fraction of an hour.

Accessible Examination Centres:

7. The examination centres should ensure barrier-free entry and navigation, with ramps, lifts, wide corridors and doors, signage and directions, audio announcements for visually impaired candidates, accessible seating arrangements, preferably on the ground floor, etc. The staff on examination duty should be briefed/trained on disability etiquette and how to handle assistive technology. Medical personnel should be available in the Centre in case of emergencies.

8. A separate examination room and a quieter venue, wherever possible, may be arranged for SLD/ neurodiverse/ candidates with chronic health conditions.

Miscellaneous:

9. Some more accommodations to be observed by the examining bodies are given below:

a. In case any candidate reporting disability caused by an incident that happened after filling out the application form, they may be allowed for reasonable accommodations as specified under these guidelines after production of a valid certificate of disability and medical certificate as per Appendix I.

b. The certificate of disability issued under the now-repealed Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (PWD Act), the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, and corresponding rules should be accepted nationwide.

c. The Bodies conducting the examinations, when notifying the commencement of such examinations, shall declare a dedicated complaint resolution system to address grievances raised by candidates with disabilities regarding issues related to the examination.

d. The Examining Bodies shall establish suitable incentive programs for their pool of scribes to ensure availability and provide necessary training to scribes empaneled in this pool.

e. EBs are required to introduce a feedback system by the examinee, to ensure quality of scribes in the pool.

BD

5918765/2025/O/oPCPO/SR

f. The examination bodies shall conduct periodic sensitization of all invigilators, officials handling the examination centers, persons involved in providing resolution to candidate queries as well as complaint redressal officials involved. Such sensitization shall be designed keeping all disabilities in mind and shall be held at least once every year.

g. The authorities/ officials in charge of decision making process, who fail to follow these Guidelines and formulate Guidelines which exclude PwDs are liable for penal action against them by appropriate authority.

h. All Examination Body/Recruiting Bodies shall ensure the protection of candidates' personal, medical, and disability-related data, collected solely for examination purposes and accommodations. Data should be securely stored, encrypted, and accessed only by authorized personnel, in compliance with the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and RPwD Act, 2016.

10. The Authority conducting the examination will have the power to take necessary action/ impose penalty, as deemed fit, in case of observance of any malpractice by the candidate/ scribe.

11. The Bodies conducting the examinations are to ensure the implementation of these guidelines while conducting written examinations involving persons with disabilities. All concerned authorities are requested to ensure strict adherence to these guidelines through periodic surveys/verification. To ensure its uniform implementation, the authorities are to inspect their existing guidelines and re-notify them in consonance with these Guidelines within a period of 03 months from the date of issuance of these Guidelines.

12. These Guidelines take effect with the date of its issue and are issued with the approval of Hon'ble Minister, Social Justice & Empowerment.

Deba
01 Aug 2025

(Debala Bhattacharjee)

Under Secretary to the Government of India

(email: debala.joarder@gov.in)

To

1. The Secretary, all Ministries/Department as per standard list
2. The Chairperson, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi.
3. The Chairperson, SSC, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
4. The Chairperson, University Grants Commission Chairperson, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
5. The Chairperson, Railway Board, M/o Railways

5918765/2025/O/oPCPO/SR

6. The Chairperson, National Testing Agency, First Floor, NSIC-MDBP Building, Okhla Industrial Estate, New Delhi, Delhi 110020
7. All National Institutes and RCI under the administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of SJ&E, New Delhi

Copy for information to:

- a. O/o the Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Dwarka, New Delhi
- b. The Director, IT Cell, DEPwD with a request to arrange uploading the Guidelines (English and Hindi) to DEPwD website at the link <https://depwd.gov.in/guidelines-2/>

Appendix-I

Certificate for recommendation of scribe/reader/lab assistant and/or Compensatory Time for persons with disabilities as defined under Section 2(s) of the RPwD Act 2016 and have limitation in writing as specified in the Guidelines.

This is to certify that, we have examined Mr./ Ms./ Mrs. (name of the candidate), S/o /D/o a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/ she has limitation which hampers his/ her writing capability owing to his/her above disability/condition. He/ she requires support of scribe/ reader/lab assistant/and or Compensatory Time as specified in the Guidelines, for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified)/ other (to be specified), which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by Examining Bodies and is valid up to ____ (it is valid for maximum period of one year or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

Name of Government Hospital/ Health Care Centre with Seal
Place
Date

5918765/2025/O/oPCPO/SR

Appendix-II

Letter of Undertaking by the persons with disabilities as defined under section 2(s) of RPwD Act 2016 using the services of scribe/reader/lab assistant during written examinations conducted by various authorities as specified in the Guidelines.

I _____, a candidate with _____
 (nature of disability/condition) appearing for the _____
 (name of the examination) bearing Roll
 No. _____ at _____
 _____ (name of the centre) in the
 District _____ (name of the
 State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe)
 will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the
 aforementioned examination. I further declare that there is no conflict of interest of any
 kind that may affect the impartiality of the examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In
 case, subsequently, it is found that his qualification is not as declared by the
 undersigned and is beyond the specified qualification for the
 examination as mentioned in the extant Guidelines, I shall forfeit my
 right to the post/position/academic seat I am competing for and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(counter-signature by the parent/ guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

F. No. P-13013/75/2023-Policy-DD-III
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
C.G.O. Complex, New Delhi -110003
Date: 10 September, 2025

Office Memorandum

Subject: Clarification on applicability of revised Comprehensive Guidelines for conducting competitive written public examinations dated 01.08.2025 for Persons with Disabilities under the RPwD Act, 2016.

In continuation to the Department's Office Memorandum of even number dated 1st August 2025, whereby revised Comprehensive Guidelines for conducting competitive written public examinations (linked to employment or admission to professional or technical courses) for Persons with Disabilities under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 were issued, the following clarifications are hereby issued:

1. In view of the likely lack of preparedness of Examining Bodies for introduction & application of technology for conduct of exams & keeping in mind both larger & immediate interest of the Divyangjan community, this is to state that all the competitive public examinations **notified/ to be notified until and including 31st December, 2025** may be conducted as per the system in vogue before issuing the said Guidelines dated 01.08.2025 i.e. as per the DEPwD Guidelines dated 29 August 2018, subsequent corrigendum and the Guidelines issued on 10th August 2022.
2. However, the Divyangjan applicants who are appearing in the competitive examinations during the intervening period and are willing to adopt the use of technology/ Assistive Devices for writing the exam independently, may be accommodated and encouraged by the Examining Bodies to the reasonable extent possible.
3. Meanwhile, DEPwD shall undertake wider and more extensive stakeholder consultations on the subject of examination guidelines, including various Examining Bodies, divyang community and other stakeholders.
4. All Ministries, Departments, Examining Bodies and relevant authorities are requested to adhere strictly to the above clarification and ensure compliance with the notified timelines and provisions of the applicable Guidelines.
5. This is issued with the approval of the Competent Authority.


10/09/2025
(Debala Bhattacharjee)

Under Secretary to the Government of India
(email: debala.joarder@gov.in)

To

1. The Secretary, all Ministries/Department as per standard list
2. The Chairperson, UPSC, Shahjahan Road, New Delhi.
3. The Chairperson, SSC, Block No.12, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

Contd....

फा.सं. पी-13013/75/2023-नीति-डीडी-III

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003
दिनांक: 01 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं (रोजगार अथवा पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी) के संचालन के लिए, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को शामिल करते हुए, संशोधित व्यापक दिशानिर्देश।

प्रस्तावना:

ये संशोधित व्यापक दिशानिर्देश इस विषय पर जारी सभी मौजूदा निर्देशों, यानी इस मामले में जारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 29-6/2019- डीडी-III दिनांक 10.08.2022 और कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/2015- डीडी-III दिनांक 08.02.2019 के शुद्धिपत्र सहित कार्यालय ज्ञापन सं. 34-02/2015- डीडी-III दिनांक 29.08.2018 के अधिक्रमण में जारी किए जा रहे हैं, जहाँ तक ये इन प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं (रोजगार या पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश से जुड़ी) को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016; सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों; इन विधानों के तहत बनाए गए नियमों और विकास कुमार बनाम यूपीएससी, अवनि प्रकाश बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एवं गुलशन कुमार बनाम आईबीपीएस और अन्य में क्रमशः दिनांक 11.02.2021, 23.11.2021 और 03.02.2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में दिए गए निर्देशों के अनुरूप संशोधित करने से संबंधित हैं।

इन दिशानिर्देशों की प्रयोजनीयता:

2. ये दिशा-निर्देश केवल नौकरियों और पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगे, न कि नियमित स्कूल (बोर्ड)/कॉलेज/विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परीक्षाओं पर, जिनके लिए पहले के दिशा-निर्देश यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के का.जा. संख्या 29-6/2019- डीडी-III दिनांक 10.08.2022 और का.जा. संख्या 34-02/2015- डीडी-III दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से जारी शुद्धिपत्र सहित का.जा. संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018, इस मामले में अगले आदेशों तक मान्य रहेंगे।

3. ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) के तहत दिव्यांगजनों के रूप में परिभाषित सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। हालांकि, लिखित परीक्षा के दौरान सहायता की सुविधा (यानी बाद के पैराग्राफ में निर्धारित किए गए अनुसार सॉफ्टवेयर सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, रीडर, लैब सहायक या स्क्रीनर जैसी तकनीकी सहायता) उन सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जाए, जो अपनी दिव्यांगता के कारण परीक्षा में लिखने में कार्यात्मक समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे उनकी दिव्यांगता की प्रकृति या समस्याएं कुछ भी हों। इसमें इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें शारीरिक समस्याओं के कारण लिखने में परेशानी हो रही हो, दृष्टि हानि के कारण पढ़ने या लिखने में परेशानी हो रही हो, बौद्धिक दिव्यांगताओं के कारण उनके समझने या अभिव्यक्ति करने की क्षमता प्रभावित हो रही हो, या कोई अन्य दिव्यांगता शामिल है जो किसी व्यक्ति को परीक्षा प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में उनकी क्षमता को बाधित करती है, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है।

4. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 के नियम 5 में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा, हितधारकों के परामर्श से, परीक्षा के कंप्यूटर-आधारित परीक्षण मोड के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिमूचित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्क्रीनर के लिए दिशानिर्देश भी शामिल होंगे।

[नोट: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 में उल्लेख किया गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों का पंजीकरण, केंद्रों का आवंटन, प्रवेश पत्र जारी करना, सार्वजनिक परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र का खोलना और वितरण, मूल्यांकन और अंतिम सिफारिशें जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी निर्दिष्ट करती है कि एक सीबीटी अभ्यर्थी को अपने रोल नंबर और प्रवेश पत्र के अनुसार उन्हें आवंटित कंप्यूटर टर्मिनल (नोड) के सामने बैठना अपेक्षित है।]

लिखित परीक्षाओं में दिव्यांगजनों के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं:

5. परीक्षा का साधन, सहायक यंत्र एवं उपकरण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में चयन का विकल्प:

क. परीक्षा लिखने में स्वतंत्र माध्यम:

1. परीक्षा निकाय अभ्यर्थियों को सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप, डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट या अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करने जैसी तकनीक की सहायता से उन्हें स्वतंत्र रूप से (विना स्क्रीनर की सहायता से) परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा के लिए व्यापक कवरेज के साथ संबंधित तकनीकी मामान (यानी, सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट या रिकॉर्डिंग उपकरण) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराएंगे।

ii. जहां नौकरी और शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी या छात्र कंप्यूटर पर स्वतंत्र रूप से काम करें, वहां परीक्षा निकाय दिव्यांग अभ्यर्थियों को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर परीक्षा देने का विकल्प प्रदान करेगा, ताकि वे किसी स्क्राइब की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से परीक्षा लिखने में सक्षम हो सकें। परीक्षा निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे धीरे-धीरे स्क्राइब की आवश्यकता को कम करें और अभ्यर्थियों को, मामले-दर-मामले के आधार पर उचित व्यवस्था के साथ, अपनी पूरी सामर्थ्य और क्षमता का प्रदर्शन और एहसास करते हुए परीक्षा में भाग लेने में सक्षम बनाएं। विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए पैराग्राफ 5 (ख) में शैक्षणिक/नौकरी की आवश्यकताओं की प्रकृति के आधार पर और, बाद के पैराग्राफ में चर्चा किए गए अनुसार, दिव्यांगजनों के व्यापक और दीर्घकालिक हितों को भी ध्यान में रखकर उनके लिए सहायता निर्धारित की गई है।

[नोट: नेत्रहीन/कम दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉब एक्सेस विद स्पीच)/एनवीडीए (नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस), ओआरसीए, बड़े प्रिंट, स्पर्श ग्राफिक्स, आवर्धन(मैग्निफिकेशन) सॉफ्टवेयर आदि जैसे प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप; लोकोमोटर दिव्यांगताओं के लिए वाइज़र रिकग्निशन सॉफ्टवेयर/हेड-माउस आदि; डिस्लेक्सिया आदि जैसी पढ़ने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए टेक्स्ट-टू-स्पीच या इसके विपरीत सॉफ्टवेयर, लेटेक्स + टेक्स/मैथ एमएल सामग्री ऐड-ऑन/सॉफ्टवेयर का उचित व्यवस्था के रूप में पता लगाया जाए; इसमें उल्लिखित सॉफ्टवेयर उदाहरणात्मक हैं और यह संपूर्ण नहीं हैं।]

iii. यूपीएससी, डीओपीटी, एनआरए आदि जैसे जिम्मेदार निकायों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें सामान्यतया एक स्क्राइब का उपयोग करके दिव्यांगजनों द्वारा दी जा रही परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर चिंता व्यक्त की गई है। विशेष रूप से, 'स्वयं का स्क्राइब' के प्रावधान की पहचान, परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भेद्यता के रूप में की गई है। विभिन्न परीक्षा निकायों द्वारा अभ्यर्थियों और उनके द्वारा निजी रूप से प्रबंधित स्क्राइब के बीच मिलीभगत सहित कदाचार के उदाहरण देखे गए हैं, जहां ये स्क्राइब पर्याप्त निर्देश के बिना स्वतंत्र रूप से उत्तर लिखते हैं, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

इस तरह की कार्रवाइयां न केवल समान अवसर के मिद्धान्तों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि उन अभ्यर्थियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने दम पर परीक्षा देते हैं या परीक्षा निकाय के सत्यापित स्क्राइब पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा, शिक्षा और नौकरियों दोनों में, तकनीकी/पेशेवर क्षेत्र-विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए, चयनित अभ्यर्थी को किन्हीं विशिष्ट नौकरी या उन्नत शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्लेसमेंट मिलने के बाद स्वतंत्र रूप से काम करना आवश्यक है।

इसलिए, ऐसे सभी मामलों में, जहां स्वतंत्र कार्य क्षमता एक महत्वपूर्ण नौकरी/शैक्षणिक आवश्यकता है, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार परीक्षा की गोपनीयता, अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही परीक्षा में प्रदर्शन को

नौकरियों/ सुदृढ़ पेशेवर पाठ्यक्रमों के परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, उम्मीदवारों द्वारा स्वतंत्र रूप से परीक्षा लिखने पर जोर दिया जाएगा।

हालांकि, सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप, ब्रेल/बड़े प्रिंट, या उत्तरों के लिए रिकॉर्डिंग उपकरण जैसी तकनीकी सामान की अनुपलब्धता वाले मामलों में या जहां अभ्यर्थी स्क्राइव का उपयोग करना चाहता है, वहां परीक्षा निकायों द्वारा प्रदान किए गए लेखकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनकी कड़ाई से पहचान और निगरानी की जाती है। विभिन्न परीक्षा निकायों को स्क्राइव के एक व्यापक समूह संगठित करने के लिए (यदि पहले से मौजूद नहीं है) 2 साल की गैर-परक्राम्य समय-सीमा (इन दिशानिर्देशों को जारी करने की तारीख से प्रभावी) प्रदान की जाती है। यह उपाय एकरूपता सुनिश्चित करेगा और इस प्रावधान के दोहन को रोकेगा। "स्वयं का स्क्राइव" प्रावधान को अंतिम उपाय के रूप में, प्रौद्योगिकी के उपयोग का विकल्प नहीं चुनने वाले आवेदकों के लिए "स्क्राइव का समूह" तैयार होने तक, अथवा दो साल के अंतराल तक, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो, अनुमति दी जा सकती है।

ख. स्क्राइव/रीडर/लैब सहायक के संबंध में प्रावधान:

यह उम्मीदवारों को स्वतंत्र रूप से परीक्षा लिखने के लिए प्रोत्साहित करने पर दिए गए व्यापक उद्देश्य को दोहराता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा तकनीक का उपयोग करने से इनकार करने के कारण स्क्राइव की अनुमति दी भी जाती है, तो उसे परीक्षा-निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। स्वयं के स्क्राइव की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब परीक्षा-निकाय उपलब्ध कराने में असमर्थ हो। तथापि, परीक्षा-निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों के जारी होने के अधिकतम 02 वर्षों के भीतर स्क्राइवों का एक व्यापक पैतल बना लें।

परीक्षा निकाय इस आदेश के दो साल पहले भी स्क्राइव प्रदान करने और "अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइव" विकल्प को समाप्त करने के प्रावधान पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने उन अभ्यर्थियों को उचित स्क्राइव प्रदान करें जो प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बजाय स्क्राइव का विकल्प चुनते हैं। ध्यान दें कि यह निर्णय सम्बंधित परीक्षा निकाय के स्तर पर लिया जाना चाहिए और इसे दिव्यांगजन मशक्तिकरण विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में स्क्राइव और उनकी योग्यता का प्रावधान नीचे निर्धारित किया गया है, जिसका व्यापक उद्देश्य दिव्यांगजनों के व्यापक और स्थायी हितों को बढ़ाना है, जिसमें समावेशी तरीके में राष्ट्र के विकास में उनका योगदान भी शामिल है।

- i. प्रतियोगी (व्यावसायिक/नौकरी से जुड़ी) सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए स्क्राइव/रीडर/लैब सहायक की योग्यता:

क्र.सं.	परीक्षा की प्रकृति	स्क्राइव की योग्यता
1	आईआईटी-जेईई, नीट, कैट, सीएलएटी, यूजीसी-नेट, गेट, सीयूईटी आदि जैसे स्नातक/स्नातकोत्तर/उच्चतर व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों और समकक्ष प्रतियोगी सार्वजनिक प्रवेश परीक्षाओं में प्रवेश के लिए।	अभ्यर्थियों को सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप/ब्रेल/लार्ज प्रिंट या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करके स्वयं परीक्षा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक का उपयोग करने के बजाय स्क्राइव का विकल्प चुनते हैं, परीक्षा निकाय (ईवी) अपने पूल से चुने गए स्क्राइवों को उपलब्ध कराएँगे। परीक्षा निकाय (ईवी) को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अनुकूल स्क्राइवों का एक व्यापक पूल (यदि पहले से मौजूद नहीं है) तैयार करने के लिए 2 वर्ष की गैर-पराक्रम्य समय सीमा दी गई है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक के उपयोग के बजाय स्क्राइव का विकल्प चुनता है, स्क्राइव की योग्यता उस परीक्षा में उपस्थित होने की न्यूनतम योग्यता से कम से कम "दो शैक्षणिक वर्ष कम" और अधिकतम "तीन शैक्षणिक वर्ष कम" होनी चाहिए। (उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में उपस्थित होने के लिए, यदि न्यूनतम योग्यता 12वीं पास या समकक्ष है, तो स्क्राइव की योग्यता 10वीं कक्षा या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन 9वीं कक्षा से कम नहीं। इसी प्रकार, यदि नेट/गेट में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर/समकक्ष है, तो स्क्राइव अधिकतम स्नातक के अंतिम वर्ष में या उससे कम का हो सकता है (स्नातकोत्तर को 2 वर्ष का कोर्स मानने पर), लेकिन स्नातक के अंतिम वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से कम नहीं हो।)
2	केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में भर्ती के लिए प्रतियोगी सार्वजनिक परीक्षाएं जैसे यूपीएससी-सिविल सेवा परीक्षा, एसएससी परीक्षाएं, एनडीए आदि और समकक्ष	उम्मीदवारों को अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर-सक्षम लैपटॉप/डेस्कटॉप/ब्रेल डिवाइस/लार्ज प्रिंट डिवाइस या रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी तकनीक का उपयोग करने के बजाय किसी स्क्राइव का विकल्प चुनता है, परीक्षा निकाय अपने समूह से मावधानीपूर्वक चुने गए स्क्राइवों को उपलब्ध कराएँगे। परीक्षा निकायों को भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अनुकूल स्क्राइवों का एक व्यापक समूह (यदि पहले से मौजूद नहीं है) तैयार करने के लिए इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी, 2 वर्ष की गैर-पराक्रम्य समय-सीमा दी गई है। ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थी प्रौद्योगिकी के उपयोग के बजाय

	<p>स्क्राइव का विकल्प चुनता है, स्क्राइव की योग्यता उस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम योग्यता से कम से कम "दो शैक्षणिक वर्ष कम" और अधिकतम "तीन शैक्षणिक वर्ष कम" होनी चाहिए।</p> <p>(उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, तो स्क्राइव की योग्यता स्नातक के प्रथम शैक्षणिक वर्ष में हो सकती है (3 वर्ष के स्नातक कोर्स के लिए), लेकिन 12वीं कक्षा से कम नहीं होनी चाहिए)</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ii. अपेक्षित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता न होने या अभ्यर्थी का उनका उपयोग करने में असमर्थता (जैसा कि ऊपर पैरा 5-क में विस्तार से बताया गया है) की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्क्राइव/रीडर/प्रयोगशाला (लैब) सहायक की सुविधा दी जानी चाहिए।

iii. दृष्टिहीनता, गतिविषयक दिव्यांगता (केवल दोनों भुजाओं से) और प्रमस्तिष्क घात की धेणी में आने वाले दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे तो उसे, बिना परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार किसी मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता के, वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड प्रस्तुत करने पर, स्क्राइव/रीडर/लैब सहायक की सुविधा दी जाए।

iv. अन्य सभी त्रिनिदिष्ट दिव्यांगताओं, अर्थात् दृष्टिहीनता, गति विषयक दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - केवल वीण) और प्रमस्तिष्क घात को छोड़कर, स्क्राइव/रीडर/लैब सहायक की सुविधा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को त्रिनिदिष्ट दिव्यांगता के कारण लिखने में कार्यात्मक कठिनाई है और, इसलिए, उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राइव अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र, इन दिशानिर्देशों के पैरा-3 के अनुसार, किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परिशिष्ट-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार चिकित्सा परीक्षण के बाद जारी किया जाना है।

[टिप्पणी: उपरोक्त बिंदु (iii) में उल्लिखित प्रमाणीकरण के लिए चिकित्सा प्राधिकरण एक बहु-सदस्यीय प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी..... अध्यक्ष
2. आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ सदस्य
3. कोई अन्य विशेषज्ञ, अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए..... सदस्य]

v. परीक्षा निकाय परीक्षाओं के अनुसार उपयुक्त स्क्राइवों की पहचान करेगा और उनका एक पैनल बनाएगा।

vi. सीमित मामलों में, जहाँ अभ्यर्थी को अपना स्वयं का स्क्राइव लाने की अनुमति है, उसे परिशिष्ट-II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने स्क्राइव का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

vii. अपना स्क्राइव लाते समय, आवेदन के समय परीक्षा निकाय (ईबी) को स्क्राइव का विवरण प्रदान करना होगा। आवेदन प्रारूप में इस घोषणा का प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा, परीक्षा निकाय (ईबी) को आवेदन समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए एक समर्पित ईमेल-आईडी या विनिर्दिष्ट आवेदन पोर्टल पर एक समर्पित लिंक प्रदान करना होगा, बशर्ते कि आपात स्थिति में अल्पावधि सूचना (जैसे, एक सप्ताह) पर स्क्राइव में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

viii. स्वयं के स्क्राइव के मामले में, स्क्राइव की पात्रता के संबंध में परीक्षा निकाय द्वारा की जाने वाली कोई भी आपत्ति परीक्षा की तिथि से 30 दिन पहले करनी होगी ताकि अभ्यर्थी अलग स्क्राइव की व्यवस्था कर सके।

ix. यदि कोई छात्र/उम्मीदवार परीक्षा के दिन पूर्व में सूचित किए गए स्क्राइव के अलावा कोई अन्य स्क्राइव लाता है, जिसमें उपरोक्त अल्पावधि सूचना पर स्क्राइव में परिवर्तन भी शामिल हैं, तो परीक्षा निकाय उपलब्धता के अध्यक्षीन अपने स्वयं के समूह से स्क्राइव उपलब्ध कराएगा। यदि परीक्षा निकाय स्क्राइव उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो वह छात्र/अभ्यर्थी से आवश्यक घोषणाएँ/दस्तावेज लेने के बाद, उस विशेष परीक्षा के लिए इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित योग्यताएँ पूरी करने के अभ्यर्थी द्वारा प्रबंधित स्क्राइव को अनुमति देगा।

x. परीक्षा निकाय द्वारा स्क्राइव की व्यवस्था करते समय, जहाँ तक संभव हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्क्राइव उमी स्ट्रीम/विषय में हो जिस विषय की परीक्षा ली जा रही है। उदाहरण के लिए, विज्ञान या तकनीकी परीक्षा देने वाले छात्र को स्क्राइव नियुक्त करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्क्राइव गणित, विज्ञान और तकनीकी विषयों के विशिष्ट शब्दों और प्रतीकों से परिचित हो। हालाँकि, भाषा, मातृविकी या सामाजिक विज्ञान जैसे सामान्य विषयों या सामान्य मार्बजनिक परीक्षाओं के लिए क्रॉस-स्ट्रीम स्क्राइवों की अनुमति दी जा सकती है।

xi. स्क्राइव निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए तथा उनमें किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो।

xii. स्क्राइव की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों को स्क्राइव से केवल उम्मी भ्रापा में संवाद करना होगा, जिसे उन्होंने परीक्षा लिखने के माध्यम के रूप में आवेदन (स्वयं के स्क्राइव का प्रपत्र/ऑनलाइन आवेदन) में चुना है। तदनुसार, परीक्षा के दौरान प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए उस भाषा की पर्याप्त समझ रखने वाले निरीक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

xiii. जिस स्क्राइव की व्यवस्था की गई है (स्वयं/परीक्षा निकाय द्वारा उपलब्ध कराया गया) वह स्वयं उस परीक्षा का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार उपस्थित हो रहा है।

xiv. "स्वयं स्क्राइव" एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए स्क्राइव के रूप में कार्य नहीं करेगा।

xv. ऐसे मामलों में जहां परीक्षा बोर्ड द्वारा स्क्राइव उपलब्ध कराए जाते हैं, उम्मीदवारों को निर्धारित स्थान पर परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले 20 मिनट के संवाद सत्र के लिए स्क्राइव से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

xvi. ऐसे मामलों में जहाँ उम्मीदवार भाषा संबंधी बाधाओं जैसे वैध आधारों पर स्क्राइव बदलने का अनुरोध करते हैं, वे स्क्राइव बदलने के लिए परीक्षा निकाय को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। परीक्षा निकाय (परीक्षा निकाय (ईवी)) द्वारा केवल ऐसे एक अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा, और अनुरोध की स्वीकृति परीक्षा की तिथि पर किसी अन्य स्क्राइव की उपलब्धता या अन्य संबंधित कारकों पर निर्भर करेगी।

xvii. परीक्षा निकाय द्विभाग उम्मीदवारों और उनके स्क्राइवों के लिए विशिष्ट स्थान निर्धारित कर सकता है (परीक्षा के दौरान किसी भी आपातस्थिति के लिए अतिरिक्त संख्या में स्क्राइव उपलब्ध रहेंगे), जहां परीक्षा निकाय सीसीटीवी, प्रशिक्षित निरीक्षकों आदि के संदर्भ में अधिक निवेश कर सकता है।

xviii. उम्मीदवारों को अलग-अलग पेपर लिखने के लिए एक से अधिक स्क्राइव/पाठक (रीडर) ले जाने की भी अनुमति होनी चाहिए। हालाँकि, प्रत्येक विषय के लिए केवल एक ही स्क्राइव हो सकता है।

xix. परीक्षा निकाय प्रारंभिक विज्ञापन की तिथि से लेकर संबंधित परीक्षा के समापन तक स्क्राइव का विवरण या किसी अन्य सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं/उचित व्यवस्था की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

प्रतिपूरक समय:

6. प्रतिपूरक समय की उपलब्धता इस प्रकार है:

- i. इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट और निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित, लेखन में कार्यात्मक सीमाओं वाले दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम का "प्रतिपूरक समय" नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वे स्क्राइब/पाठक/परीक्षा-निकाय की सेवाओं का उपयोग कर रहे हों या नहीं।
- ii. यदि परीक्षा की अवधि एक घंटे से कम है, तो प्रतिपूरक समय की अवधि आनुपातिक आधार पर एक घंटे के अंश के आधार पर दी जानी चाहिए।

सुगम्य परीक्षा केंद्र:

7. परीक्षा केंद्रों में बाधा-मुक्त प्रवेश और मार्गदर्शन सुनिश्चित होना चाहिए, जिसमें रैंप, लिफ्ट, चौड़े गलियारे और दरवाजे, संकेत और दिशा-निर्देश, दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए ध्वनि-घोषणाएँ, बैठने की सुगम्य व्यवस्था, अधिमानतः भूतल पर, आदि शामिल हों। परीक्षा झूड़ी पर तैनात कर्मचारियों को दिव्यांगता शिष्टाचार और सहायक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी/प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपात स्थिति के लिए केंद्र में चिकित्साकर्मियों उपलब्ध होने चाहिए।

8. जहां तक संभव हो, एसएलडी/न्यूरोडाइवर्स/दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले उम्मीदवारों के लिए एक अलग परीक्षा कक्ष और एक शांत स्थान की व्यवस्था की जा सकती है।

विविध:

9. जांच निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ और व्यवस्थाएं नीचे दी गई हैं:

(क) यदि कोई उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के बाद घटित किसी घटना के कारण दिव्यांगता की रिपोर्ट करता है, तो उन्हें परिशिष्ट I के अनुसार दिव्यांगता का वैध प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद इन दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट उचित समायोजन की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) अब निरस्त हो चुके दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को पूरे देश में स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ग) परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय, ऐसी परीक्षाओं के प्रारंभ की अधिसूचना देते समय, परीक्षा से संबंधित मुद्दों के संबंध में दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित शिकायत समाधान प्रणाली की घोषणा करेंगे।

(घ) परीक्षा निकाय अपने स्क्राइवों के समूह के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन कार्यक्रम स्थापित करेंगे ताकि उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और इस समूह में शामिल स्क्राइवों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(च) परीक्षा निकाय को परीक्षार्थियों द्वारा फीडबैक प्रणाली शुरू करनी है, ताकि पूल (समूह) में स्क्राइवों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(छ) परीक्षा निकाय सभी निरीक्षकों, परीक्षा केंद्रों को संचालित करने वाले अधिकारियों, उम्मीदवारों के प्रश्नों के समाधान में शामिल व्यक्तियों और शिकायत निवारण अधिकारियों का समय-समय पर संवेदीकरण करेंगे। यह संवेदीकरण सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा।

(ज) निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी/अधिकारियों, जो इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं और ऐसे दिशानिर्देश बनाते हैं जो दिव्यांगजनों को शामिल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ उचित प्राधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(झ) सभी परीक्षा निकाय/भर्ती निकाय उम्मीदवारों के व्यक्तिगत, चिकित्सा और दिव्यांगता-संबंधी डेटा, जो केवल परीक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए एकत्र किया जाता है, की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में सुरक्षित रूप से संग्रहित, एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए और केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा ही एक्सेस किया जाना चाहिए।

10. परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी को अभ्यर्थी/स्क्राइव द्वारा किसी भी प्रकार का अनाचार पाए जाने पर, जैसा उचित समझा जाए, आवश्यक कार्रवाई करने/दंड लगाने का अधिकार होगा।

11. परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों को दिव्यांगजनों से संबंधित लिखित परीक्षाएँ आयोजित करते समय इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। सभी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे आवधिक सर्वेक्षण/सत्यापन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इनका एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारियों को अपने मौजूदा दिशानिर्देशों का निरीक्षण करना होगा और इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 03 महीने की अवधि के भीतर इन दिशानिर्देशों के अनुरूप उन्हें पुनः अधिमूचित करना होगा।

12. ये दिशानिर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

देबाला 1 अक्टूबर, 2025
(देबाला भट्टाचारजी)

अवर सचिव, भारत सरकार

(ईमेल: debala.joarder@gov.in)

सेवा में

1. सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग, मानक सूची के अनुसार
2. अध्यक्ष, यूपीएससी, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, एसएससी, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।
6. अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, पहली मंजिल, एनएसआईसी-एमडीवीपी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली, दिल्ली 110020
7. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय संस्थान और आरसीआई।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली
2. निदेशक, आईटी सेल, डीईपीडब्ल्यूडी को अनुरोध के साथ कि दिशानिर्देशों (अंग्रेजी और हिंदी) को डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर लिंक <https://depwd.gov.in/guidelines-2/> पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

परिशिष्ट-1

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित दिव्यांगजनों के लिए स्क्रीन/रीडर/लैब सहायक की सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट लिखित सीमाएं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्रीमान/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री
....., निवासी (गाँव/डाकघर/थाना/ज़िला/राज्य), आयु वर्ष,
..... (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त व्यक्ति की जाँच की है और यह बताया जाता है कि उनकी
उपरोक्त दिव्यांगता/स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता में बाधा आ रही है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए
दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार स्क्रीन/पाठक/प्रयोगशाला सहायक/और/या प्रतिपूरक समय की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण और सहायक यंत्रों जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, ध्वनि यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए)/अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए स्क्रीन की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल परीक्षा निकायों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह (अधिकतम एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिए वैध है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान

दिनांक

परिशिष्ट-II

दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के दौरान सूक्राइव/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2(एस) के तहत परिभाषित दिव्यांगजनों द्वारा वचन पत्र।

मैं _____ (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) _____ अभ्यर्थी हूँ और मेरा रोल नंबर _____ (परीक्षा का नाम) _____ है। _____ जिले में (केंद्र का नाम), _____ (राज्य का नाम) _____। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए _____ (स्काइव का नाम) अधोहस्ताक्षरी के लिए सूक्राइव / रीडर / प्रयोगशाला सहायक के रूप में सेवा उपलब्ध कराएगा. /कराएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती हो।

3. मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा यथा घोषित अनुसार नहीं है और मौजूदा दिशानिर्देशों में उल्लिखित परीक्षा के लिए निर्दिष्ट योग्यता से परे है, तो मैं जिस पद/शैक्षणिक सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, उस पर अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावे खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/मंगक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: